फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण) 2024/152

चरणसिंह बनाम गंगाराम वगैरा दावा

मुकदमा नम्बर :- 69/ 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08/07/24	वकील वादी महेन्द्र सिंह द्वारा ने दावा पेश किया। रिपोर्ट रीडर की प्राप्त हुई। धारा 80(2) CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/07/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)	
	10/7/24	व. वादी उप. प्रतिवादी संख्या 1, की ओर से एड. विनोद कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की तामील हो चुकी है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान के जरिये अधिवक्ता मय पक्षकारान के राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा स्वीकार किया जाता है। [illegible] के आधार पर वादी का [illegible] किया जाकर [illegible] निर्णय [illegible] पक्ष में [illegible] जाकर आज्ञप्ति पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] वक्त [illegible] हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)	1, 2 Sd. Mahendra (महेन्द्र सिंह) एड. / प्रति. गंगाराम (हस्ताक्षर) / विनोद कुमार शर्मा एड.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–69/2024
उनवान– चरण सिंह बनाम गंगाराम वगैरह
निर्णय दिनांक– 10.07.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मु0) चौमूं, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा सं0 – 69/2024

उनवान

चरण सिंह जाट पुत्र श्री गंगाराम जाट, उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दोला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. गंगाराम पुत्र स्व0 श्री भूराराम, उम्र...... वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दोला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्रीमान उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. श्रीमान प्रबंधक महोदय, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:–10.07.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम निन्दोला, पटवार हल्का खेजरोली–ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता सं0 406 के खसरा नं0 9281/7924 रकबा 0.43 हैक्टेयर जोकि साबिक खसरा नं0 3945 से बना है, जो इस वाद पत्र में वादग्रस्त है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 की पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

भूरा(फौत)
↓ पुत्र
गंगाराम
↓ पुत्र

मुरलीधर पुत्र	कमली देवी पुत्री	मदन पुत्र	[illegible] देवी पुत्री	केदार पुत्र	चरण सिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजी वादी के दादा व प्रतिवादी सं0 1 के पिता भूरा के कब्जेकाश्त की अविवादित खातेदारी की भूमि रही है। जिस पर भूरा जीवनपर्यन्त कब्जेकाश्त रहकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। जिनके स्वर्गवास के पश्चात् वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 गंगाराम के हक में खुला, इस प्रकार वादग्रस्त

Scanned with OKEN Scanner

आराजी पुश्तैनी है, जिस कारण वादी का वादग्रस्त आराजी में 1/7 हिस्सा भाग हिस्सा [illegible] बर्थ अविभाजित निहित है,. जिस अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 अविवादित हिस्से पर काबिज काश्त हो हर प्रकार से उपयोग–उपभोग कर रहे हैं तथा लगान शामलाती में हिस्से अनुसार ज़मा करवाते आ रहे हैं। दिनांक 06.07.2024 को वादी द्वारा अपनी पुश्तैनी आराजी में अपने हिस्से अनुसार कब्जाकाश्त के अनुसार तकासमा करवाने हेतु प्रतिवादी सं0 1 को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 क्रोधित हो गया तथा वादग्रस्त आराजी का अन्य व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी तथा वादग्रस्त आराजी का तकासमा करवाने से इन्कार कर दिया तथा वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं देने बाबत कहा, जिस कारण से उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ है।

अतः वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वादी का वाद बाबत घोषणा डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी के 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात किया जावे। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी बाबत तकासमा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी में निहित वादी के हिस्से की भूमि का कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाते हुए वादी के नाम अलग से खातेदारी कायम कर पृथक राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाकर पृथक से लगान कायम कर पर्चा जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवायें कि प्रतिवादी सं0 1 वादग्रस्त आराजी को हस्तानान्तरण, ब्क्शीश, रहन इत्यादि नहीं करे, ना ही वादी के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित करे, ना ही वादी को बेदखल करे, ना ही वादग्रस्त आराजी में जबरन प्रवेश करे, ना ही प्रतिवादी सं0 1 वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण करे, ना ही वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन करे, ना ही प्रतिवादी सं0 3 वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन करे, ना ही राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करें, उक्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने उजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन इत्यादि से करवायें।

प्रार्थी/वादी व अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की ओर से राजीनामा दिनांक 10.07.2024 पेश किया गया जिसके अनुसार पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा हाल खसरा नं0 9281/7924 रकबा 0.43 हैक्टेयर की भूमि में वादी का 1/7 भाग की खातेदारी की घोषणा की जाती है तो मिन प्रतिवादी सं0 1 को ऐतराज नहीं है। खसरा नं0 9281/7924 का मौके पर वादी के हिस्से का तकासमा कर दिया गया है तथा वादी के हिस्से में राजीनामें के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित खसरा नं0 2981/7924/2 का पीले रंग से दर्शित हिस्सा आया है, जिस हिस्से का तकासमा किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 1 को कोई ऐतराज नहीं है।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। [illegible] घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। दस्तावेजात का अवलोकन कर[illegible]र य[illegible]स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का पैतृक हिस्सा 1/7 निहित [illegible] जिसकी घोषणा वादी अपने पक्ष में करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] जाने का अधिकारी है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि का कब्जेकाश्त को ध्यान [illegible] रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाते हुए वादी के नाम अलग से खातेदारी कायम कर पृथक राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाकर पृथक से लगान कायम कर पर्चा जारी करवाने का अधिकारी है। उक्त के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आपसी सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–69/2024
उनवान–चरण सिंह बनाम गंगाराम वगै0
निर्णय दिनांकः–10.07.2024

राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है तथा पक्षकार वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री करवाये जाने बाबत सहमत हैं। न्यायालय अभिमत में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम निन्दोला, पटवार हल्का खेजरोली–ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता सं0 406 के खसरा नं0 9281/7924 रकबा 0.43 हैक्टेयर में वादी को उसके हिस्से 1/7 भाग का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा मुताबिक राजीनामा व संलग्न विभाजन प्रस्ताव में वर्णित खसरा नं0 9281/7924/2 रकबा 0.0614 है0 भूमि जो संलग्न विभाजन प्रस्ताव में पीले रंग से दर्शाई गई है के अनुसार तकासमा किया जाते हुए वादी के नाम अलग से खातेदारी कायम कर पृथक राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाकर पृथक से लगान कायम कर पर्चा जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।

डिक्री जारी हो। राजीनामा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा। निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मु0) चौमूं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–69/2024
उनवान–चरण सिंह बनाम गंगाराम वगै0
निर्णय दिनांकः–10.07.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

चरण सिंह जाट पुत्र श्री गंगाराम जाट, उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दोला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. गंगाराम पुत्र स्व0 श्री भूराराम, उम्र....... वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दोंला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्रीमान उपतहसीलदार महोदयं, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर (राज0)।
3. राजस्थान सरंकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. श्रीमान प्रबंधक महोदय, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–69/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम निन्दोला, पटवार हल्का खेजरोली–ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता सं0 406 के खसरा नं0 9281/7924 रकबा 0.43 हैक्टेयर में वादी को उसके हिस्से 1/7 भाग का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात करवांये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा मुताबिक राजीनामा व संलग्न विभाजन प्रस्ताव में वर्णित खसरा नं0 9281/7924/2 रकबा 0.0614 है0 भूमि जो संलग्न विभांजन प्रस्ताव में पीले रंग से दर्शाई गई है के अनुसार तकासमा किया जाते हुए वादी के नाम अलग से खातेदारी कायम कर पृथक [illegible] तैयार किया जाकर पृथक से लगान कायम कर पर्चा जारी करने के आदेश दिये जा[illegible]

निजी ....मबलिक .... बाबत .... खर्चा [illegible] मद सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.07.2024 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–69 / 2024
उनवान–चरण सिंह बनाम गंगाराम वगै0
निर्णय दिनांक:–10.07.2024

दस्तखत........
ओहदा........

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

सहायक कलेक्टर चौमूं (फास्ट ट्रेक) जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	6 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	8	जोड़	2

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner